

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

• उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री भानू प्रकाश, स्थापना उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी पदा0, आपदा प्रबंधन/भू-अर्जन शाखा।
3. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर।
4. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
5. डॉ0 ईश्वरचन्द्र सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
6. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
7. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
8. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
9. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।
10. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
11. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
12. जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
13. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

• अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

14. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
15. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
16. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
17. श्री संजय प्रियदर्शी, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
18. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
19. गुलाम मोहम्मद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
20. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
21. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।

वर्तमान समय में जिले के बाढ़ विभीषिका से प्रभावित कुल 34 पंचायतें, जिनमें 9 पंचायतों के पूर्णतः एवं 25 पंचायतों के अंशतः तथा शहरी क्षेत्र के 5 वार्ड में से 2 वार्ड पूर्णतः एवं 3 वार्ड अंशतः प्रभावित होने की सूचना हैं। उक्त क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (SDRF एवं NDRF) निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने का निदेश प्रदत्त है जिसके अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए:-

1. अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 1641/गो0, दिनांक 21.08.2013 द्वारा मुंगेर सदर, बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा एवं ह0 खड़गपुर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत बाढ़ प्रभावित गाँव/टोले के व्यक्तियों/पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कई विद्यालयों को शरण स्थली/राहत शिविर घोषित करते हुए प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री, दवा, पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए विभिन्न निदेश दिए गए हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए।
2. खड़गपुर अनुमंडलान्तर्गत तेलियाडीह पंचायत के कृष्णानगर के 47 पीड़ितों एवं अग्रहण पंचायत के सतबीगधी ग्राम के 201 पीड़ितों को अनुमान्य राहत सामग्री उपलब्ध कराया जा चुका है।
3. सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण हेतु प्रभावित परिवारों का सूची सर्वेक्षण उपरान्त पंचायत/प्रखंड

अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति से पारित कराकर अनुमान्य SDRF एवं NDRF के निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य वितरण का निदेश दिया गया।

4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को बाढ़ प्रभावितों के बीच खाद्यान्न वितरण हेतु ओ0एम0एस0एस0 दर पर शीघ्र अंचल अधिकारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी (Mentor) आवश्यकता आधारित खाद्यान्न को सुरक्षित भंडारित कराने की कार्रवाई पूरी करेंगे।
5. जमालपुर प्रखंडान्तर्गत मुख्यतः तीन पंचायतें, यथा- इटहरी, इन्द्ररुख पश्चिमी एवं रामपुरकला में क्रमशः 2124, 293 एवं 1667 बाढ़ पीड़ितों की सूची सवेक्षणोपरान्त तैयार की गई है जिसके निमित्त प्रभारी पदाधिकारी (Mentor) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ सभी तीन शिविरों को अविलम्ब कार्यान्वित कराया जाए एवं अनुमान्य राहत का लाभ दिया जाए।
6. विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि टी0एच0आर0 दिवस को प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा यदि आगामी दिवस को जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिन पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में किन पदाधिकारियों द्वारा किस परिस्थिति में जांच करने नहीं जा रहे हैं।
7. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक प्रखंड स्तर पर आयोजित कर आवश्यक कार्रवाईयों सुनिश्चित की जाए।
8. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेशों को पुनः उल्लेखित करते हुए नियमित अनुश्रवण/अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदा0 को दिया गया :-

1. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छत्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय


उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपन्न समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
- वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई कर प्रतिवेदन देना।

- बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र-2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से करायें तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करना।


2. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
3. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।
4. आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करते रहेंगे ताकि कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके।
5. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ अपर समाहर्ता, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।


ज्ञापांक...1689...../गो0, दिनांक...28/8/13

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर/खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...1689...../गो0, दिनांक...28/8/13

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।